

**<sup>1</sup>[Rule 138D : Facility for uploading information regarding detention of vehicle**

Where a vehicle has been intercepted and detained for a period exceeding thirty minutes, the transporter may upload the said information in **FORM GST EWB-04** on the common portal.]

<sup>2</sup>[**Explanation**–For the purposes of this Chapter, the expressions ‘transported by railways’, ‘transportation of goods by railways’, ‘transport of goods by rail’ and ‘movement of goods by rail’ does not include cases where leasing of parcel space by Railways takes place.]

---

---

**1** Rule 138D substituted by Noti. No.12/2018–Central Tax, dt. 07-03-2018 except Rule 138(7) provisions have been made effective from 01-04-2018 by Noti. No. 15/2018–Central Tax, dt. 23-03-2018.

Earlier this rules has been amended/inserted by:

1. Noti. No. 27/2017–Central Tax, dt. 30-08-2017.

2. Noti. No. 3/2018–Central Tax, dt. 23-01-2018.

**2** Explanation inserted by Noti. No. 14/2018–Central Tax, dt. 23-03-2018 w.e.f. 01-04-2018.

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

**1[नियम 138घ : यान को निरूद्ध किए जाने से संबंधित जानकारी अपलोड करने संबंधी प्रसुविधा**

जब किसी यान को रोका गया है और तीस मिनट से अधिक की अवधि के लिए निरूद्ध किया गया है वहां परिवाहक उक्त जानकारी को सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यू बी-04 पर अपलोड कर सकेगा।

**2[स्पष्टीकरण-**इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, 'रेल द्वारा परिवहन किया गया', 'माल का रेल द्वारा परिवहन किया जाना', 'माल का रेल द्वारा परिवहन' और 'रेल द्वारा माल का संचलन' पद में ऐसे मामले सम्मिलित नहीं हैं, जहां रेल द्वारा पार्सल स्थान का पट्टाकरण दिया जाता है।]

- 
- 1 अधिसूचना क्रमांक 12/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 07.03.2018 द्वारा नियम 138, 138क से 138घ प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 15/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 23.03.2018 द्वारा सिवाय नियम 138 (7) के सभी नियम दिनांक 01.04.2018 से प्रभावशील किये गये हैं। पहले ये नियम निम्नलिखित द्वारा संशोधित किये गये  
1. अधिसूचना क्रमांक 27/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 30.08.2017।  
2. अधिसूचना क्रमांक 3/2018-केन्द्रीय कर दिनांक 23.01.2018
  - 2 अधिसूचना क्रमांक 14/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 23.03.2018 द्वारा स्पष्टीकरण अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.04.2018)।